रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 670] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 29, 2006/आषाढ़ 8, 1928
No. 670] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 29, 2006/ASADHA 8, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2006

का.आ. 963(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 54 ङग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उप-खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उक्त धारा के प्रयोजन के लिए वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान "दीर्घ कालिक विनिर्दिष्ट आस्ति" के रूप में एक हजार पांच सौ करोड़ (तीन वर्ष पश्चात् मोचनीय) रुपए की रकम के लिए बंधपत्र जारी किए जाने के लिए अधिसूचित करती है।

[अधिसूचना सं. 142/2006/फा. सं. 142/09/2006-टीपीएल]

शरत चंद्र, निदेशक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2006

का.आ. 964(अ).—**केन्द्रीय सरकार**, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 54 ङग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उप-खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन गठित और रजिस्ट्रीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उक्त धारा के प्रयोजन के लिए वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान "दीर्घ कालिक विनिर्दिष्ट आस्ति" के रूप में चार हजार पांच सौ करोड़ (तीन वर्ष पश्चात् मोचनीय) रुपए की रकम के लिए बंधपत्र जारी किए जाने के लिए अधिसूचित करती है ।

[अधिसूचना सं. 143/2006/फा. सं. 142/09/2006-टीपीएल]

शरत चंद्र, निदेशक